बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242160 (फैक्स)
email: dm- siwan.bih@nic.in

–: आदेश :–

COVID-19 Corona virus के संक्रमण के चलते अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में बिहारवासियों के वापस आने की सूचना प्राप्त हो रही है। प्रखण्डों से ऐसी सूचना भी प्राप्त हो रही है कि जब ये लोग अपने गांव और घर जाने का प्रयास कर रहे है तब कहीं–कहीं ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।

2. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि ऐसी किसी भी प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और उन व्यक्तियों को अपने घरों तक पहुँचाने हेतु पूर्ण प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेंगे। ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेगें कि आने वाले व्यक्ति अपने घरों तक आसानी से सुरक्षित पहुंच जाय, इन्हें किसी ग्रामीण के विरोध का सामना नही करना पड़े। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को यह भी आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में सुनिश्चित करेगें कि ऐसे आगंतुक अपने घरों में ही SELF ISOLATION में रहें।

3. यदि आने वाले व्यक्तियों को गांवों में ग्रामीणों द्वारा भारी विरोध किया जाता है और इनका गांव/घरों में प्रवेश संभव नही हो तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उनके गांवो/घरों के निकटतम सरकारी विद्यालय में ऐसे लोगों के ठहरने का व्यवस्था करेगें जहां वे ISOLATION में रह सकें तथा इसकी सूचना संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को देगें। अनुमण्डल पदाधिकारी अपने स्तर से ऐसे व्यक्तियों को ISOLATION में रखवाने का अनुश्रवण करेंगे। पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–855/सी0 दिनांक–21.03.2020 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में ऐसे व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नियमित रूप से पंचायत प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा दर्ज की जाएगी, तथा वे इसकी सूचना संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को देंगे।

ह0/–
जिलाधिकारी, सीवान

ज्ञापांक 861 /सी0, सीवान दिनांक– 22 वीं मार्च, 2020 ई0

प्रतिलिपिः–आयुक्त सारण प्रमण्डल सारण, छपरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–पुलिस उप महानिरीक्षक सारण, छपरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक सीवान को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–अनुमण्डल पदाधिकारी सीवान/महाराजगंज/सिविल सर्जन, सीवान/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सीवान/महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला–सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2020
जिलाधिकारी, सीवान